क्रम-संख्या—223

रजि० नं० एल०डब्लू०/एल०पी० 890

लाइसेन्स नं० डब्लू०पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एण्ड कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 24 मई, 2000

ज्येष्ठ 3, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1367/सत्रह-वि0-1—1 (क)-22/2000

लखनऊ, 24 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 22 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2000]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा।

(2) यह पहली जून, 2000 को प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 5 में, उपधारा (1) में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु किसी सदस्य को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, इस धारा के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों में से उसके विकल्प पर उतने मूल्य के रेल कूपन के बजाय, जितने वह चाहे,—

(क) समान मूल्य के कूपन उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर किसी समय वायुयान द्वारा यात्रा के लिये उसे दिये जाएंगे; और

(ख) उसके निजी वाहन के लिये पेट्रोल या डीजल हेतु तीन हजार रुपये प्रति माह से अनधिक की धनराशि नकद भुगतान की जाएगी।"

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1367 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-22-2000

Dated Lucknow, May 24, 2000

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 22, 2000.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION, (SECOND AMENDMENT) ACT, 2000

[U. P. ACT NO. 27 OF 2000]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Second Amendment) Act, 2000.

(2) It shall come into force on June 1, 2000.

Amendment of section 5 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In section 5 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, in sub-section (1), *for* the first proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely:—

"Provided that out of the railway coupons to be supplied under this section to a member, he shall at his option,—

(*a*) be supplied coupons of equal value for travel by air at any time within or outside Uttar Pradesh; and

(*b*) be paid an amount in cash not exceeding three thousand rupees per month for petrol or diesel for his own vehicle;

instead of such value of railway coupons as he may desire, in such manner as may be prescribed."

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

(172)